### न्यायालयः—द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०) समक्षः—दिलीप सिंह

<u>आर.सी.एस.ए-300057 / 2015</u> <u>संस्थित दिनांक-28.04.2008</u>

1—लखनलाल आयु 35 वर्ष पिता दुखारी, जाति मरार, 2—बिराजोबाई उम्र—50 वर्ष पति दुखारी, जाति मरार, दोनों निवासी ग्राम अचानकपुर तह. बैहर जिला बालाघाट

.....वादीगण

### -// <u>विरूद</u> //-

1—दुखारी उम्र—60 वर्ष पिता झाडू जाति मरार, 2—कोमल बाहेश्वर उम्र—30 वर्ष पिता पतिराम मरार दोनों निवासी—ग्राम अचानकपुर तह. बैहर जिला बालाघाट 3—म.प्र. शासन द्वारा, कलेक्टर महोदय बालाघाट म.प्र. 4—रामलाल उम्र—32 वर्ष पिता पतल, जाति मरार, सािकन कचनारी तहसील बैहर / बिरसा, जिला बालाघाट 5—एसन कुमार उम्र—30 वर्ष पिता दुखारी, जाति मरार, निवासी—ग्राम अचानकपुर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट

.....<u>प्रतिवादीगण</u>

# - / / <u>निर्णय</u> / / -

## (आज दिनांक-28.11.2017 को घोषित)

- 1. वादीगण ने यह वादपत्र दिनांक—19.07.2006 के विक्रयपत्र को प्रभावशून्य घोषित किये जाने एवं हक की घोषणा कर स्थायी निषेधाज्ञा पारित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया था। प्रश्नाधीन प्रकरण माननीय द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बालाघाट के व्यवहार अपील क. 10ए/2013 निर्णय दिनांक—08. 05.13 के द्वारा इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया था। माननीय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश बालाघाट के उक्त निर्णय के निर्देशों का पालन कर प्रकरण का निर्णय किया जा रहा है।
- 2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रति.क. 1 वादी क.1 का पिता एवं वादी क. 2 का पति है।
- 3. वादीगण का वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रति.क.1, वादी क.1 का पिता तथा वादी क.2 का पित है। प्रति.क.2 द्वारा प्रति.क.1 से वादीगण के हक की

भूमि को क्य किया गया है, जो प्रति.1 ने वादीगण को पारिवारिक विभाजन कर प्रदान की थी। विवादित भूमि ख.नं—93/1 रकबा 0.37 ख.नं—134/8+138/8 रकबा 0.37 ख.नं—163/6 रकबा 1.67, ख.नं—202/2 रकबा 0.50 ख.नं—285/2 रकबा0.63, ख.नं—294/3ड+294/7+294/8, रकबा 0.37 ख.नं—296/8क रकबा 0.24 मौजा अचानकपुर प.ह.नं—36 तहसील बैहर जिला बालाघाट में स्थित भूमि वादीगण को हिस्से में प्राप्त हुई है। वादीगण एवं प्रति.क.1 की खानदानी भूमि मौजा अचानकपुर प.ह.नं—36 में ख.नं.—20 रकबा 14.82 ए तथा मौजा झामुल प.ह. नं—36 में ख.नं—242/1 रकबा 1.18 ए स्थित है, जो वर्तमान में प्रति.क.1 के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उपरोक्त भूमि प्रति.क.1 ने पारिवारिक विभाजन कर वादीगण को दी है। उक्त भूमि पर वादीगण द्वारा मालिक काबिज होकर कृषि कार्य के लिए कुंआ खुदवाकर एवं निवास करने के लिए मकान बनाकर शांतिपूर्वक कास्त करते रहे। उक्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा है।

वादीगण ने उनके वादपत्र में यह बताया है कि प्रति.क.1 की दो पत्नियां है, जिसमें से उसकी वैध विवाहिता पत्नी वादी क. 2 है तथा दूसरी पत्नी समलोबाई है। वादीगण के कब्जे की भूमि पर प्रति.क.1 द्वारा जब कास्त करने के लिए विवाद किया जाने लगा, तब वादीगण द्वारा वैध विभाजन के लिए नायब तहसीलदार बिरसा के न्यायालय में आवेदन देने पर प्रति.क.1 ने उक्त विवादित भूमि वादीगण को देना स्वीकार किया व पंचो के समक्ष हलका पटवारी से नाप करवाकर उक्त भूमि वदीगण को दी। नायब तहसीलदार बिरसा द्वारा वैध विभाजन वादीगण के पक्ष में किया जाने लगा तो प्रति.क.1 ने नायब तहसीलदार बिरसा के कार्यालय में स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न किया था, जिससे उक्त आवेदन पर आदेश नहीं किया गया था, इसी बीच प्रति.क.1 ने प्रति.क.2 से सांठगांठ कर वादीगण के हक की भूमि ख.नं-93 / 1, 134 / 8+138 / 8 रकबा कमशः 0.37, 0.20 डिसमिल भूमि पर वादीगण का बना मकान विक्य कर दिया था। जब इस बात की जानकारी वादीगण को हुई तो उन्होंने नायब तहसीलदार बिरसा के प्रकरण में उक्त बात को रखी थी, तब न्यायालय द्वारा दिनांक—12.03.2007 को सिविल न्यायालय से स्वत्व का निर्धारण कराकर लाने कहते हुए प्रकरण स्थगित कर दिया था। विवादित भूमि पर वादीगण का विधिक हक होने से प्रति.क.1 द्वारा दी गई थी। उक्त भूमि पर वादीगण का विधिक हक उत्पन्न हो चुका है। प्रति.क.1 ने वादीगण के हक-कब्जे की ख.नं.-93/1ग रकबा 0.37डि, ख.नं-134/8, 138/8 रकबा 0.20 डि. की भूमि को चोरी से प्रति.क. 2 के पक्ष में बिक्री कर पंजीयन दिनांक-19.07.06 को किया जा चुका है, जबकि उक्त विवादित भूमि प्रति.क.1 के कब्जे की नहीं है ना ही प्रति.क.1 उक्त भूमि को बिक्री करने का अधिकार रखता है, इसलिए प्रति.क.1 द्वारा प्रति.क. 2 के पक्ष में किया गया विक्रयपत्र दिनांक—19. 07.2006 प्रभावशून्य घोषित किये जाने योग्य है व वादीगण पर बंधनकाकर नहीं है। प्रति.क.1 वादीगण को उनके हिस्से में प्राप्त भूमि को विक्रय कर अफरा—तफरा करने की धमकी देता है, जिससे प्रति.क.1 को विवादित भूमि पर बिक्री करने, कास्त के समय हस्तक्षेप करने से उसके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने के वादीगण अधिकारी है। वाद कारण दिनांक—12.03.07 को तब उत्पन्न हुआ, जब नायब तहसीलदार बिरसा के द्वारा वादीगण के आवेदन की कार्यवाही स्थिगत कर दी गई थी व सिविल न्यायालय से स्वत्व निर्धारण कराने कहा गया था।

- 5. वादीगण ने वादपत्र में यह भी बताया है कि प्रति.क.1 के द्वारा प्रति.क.4 को वादग्रस्त भूमि ख.नं. 294/35, 294/7, 294/8ड/क में से 1 एकड़ भूमि दिनांक—08.09,2010 में बिकी है, तथा इसी तरह प्रति.क.02 व ख.नं. 163/6 में से रकबा 0.67, 202/2 में से 0.50 डि. भूमि कुल 1 एकड़ 17 डि. भूमि दिनांक—06. 10.2010 को बिकी की गई है, उक्त दोनों ही बिकी का प्रकरण लंबित रहने के दौरान बिना न्यायालय के अनुमित के विकय की गई है, जो लीज पेडक के अनुसार अवैध व शून्य है तथा वादी पर बंधनकारी नहीं है, प्रति.क.1 ने स्वयं लखनलाल व उनके वारिसों के पक्ष में सभी भूमि बंटवारे में देना कबूल किया है, इस आधार पर वादीगण ही इन भूमियों के आधिपत्य में है, इस प्रकार दोनों बिकी या पोल फर्जी बिना मावजाने की है, और प्रति.क.4 व 5 को इससे कोई वैधानिक स्वत्व की प्राप्ति नहीं होती है। "वाद लंबित रहने के दौरान प्रति.क.01 के द्वारा प्रति.क.04,05 के बीच में की गई बिकी 08.09.2010 एवं 06.10.2010 अवैध व शून्य होने से वादीगणों पर बंधनकारी नहीं है" वादीगण ने उनके वादपत्र की प्रार्थना के अनुसार उनके पक्ष में डिकी दिये जाने का निवेदन किया है।
- 6. प्रकरण में प्रति.क. 2 ने वादीगण के वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार कर उसके विशेष कथन में बताया है कि प्रति. क.1 के हक मालिकी की भूमि ख.नं—93/1ग मौजा अचानकपुर प.ह.नं—36 रा.नि. मं. एवं तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित भूमि में से 0.37/0.150 हे. भूमि तथा ख.नं—134/8, 138/8 में से 0.20 डि. भूमि प्रति.क.2 द्वारा प्रति.क.1 से दिनांक—19.07.2006 को 11500/—रूपये में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तब से क्रय की गई भूमि 0.20 डि. एवं 0.037 डि. भूमि पर प्रति.क. 2 मालिक काबिज होकर कास्त करता चला आ रहा है। वादीगण का प्रति.क. 2 से भूमि क्रय करने के उपरान्त ख.नं.—93/1ग में से 0.37 डि. ख.

4

नं—134/8, 138/8 में से 0.20 डि. जुमला 0.57 डि. भूमि पर कोई हक अधिकार नहीं है और न ही प्रति.क.1 द्वारा भूमि विक्रय करते समय वादीगण द्वारा प्रति.क. 2 द्वारा भूमि क्य करते समय कोई आपित्त प्रस्तुत की गई थी। प्रति.क.2 ने ख.नं. 93/1क रकबा 0.37 डि. ख.नं. 134/8, 138/8 में से 0.20 ड़ि. भूमि प्रति.क. 1 से दिनांक—19.07.06 को क्य कर विधिवत् रिजस्टर्ड दस्तावेज आधार पर मालिक काबिज होकर कास्त कर रहा है। प्रति.क.1 के पास उक्त भूमि के अतिरिक्त 30—40 एकड़ भूमि थी, जिस पर वादी क.1 व 2 का अधिकार नहीं है, न ही बंटवारे में प्राप्त हुई थी। प्रति.क.1 ने प्रति.क.2 को उक्त भूमि विक्रय कर दी थी, जिसकी जानकारी वादी क.1 को थी। विवादित भूमि में वादी क. 1 ने प्रति.क. 2 द्वारा क्य की गई भूमि को अवैधानिक रूप से अपने नाम दर्ज करवा लिया है, जो अवैध होने से शून्य है, जो प्रति.क. 2 पर बंधनकारक नहीं है। वाद के लंबनकाल में भूमि विक्रय होने से वादी क.1 को विवादित भूमि पर हक प्राप्त करने का कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। वादीगण ने बिना हक अधिकार के प्रति.क.2 की भूमि को इड़पने की नियत से झूढा दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रति.क.02 ने वादीगण का वादपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

- 7. प्रति.क.4 एवं 5 ने वादीगण के वादपत्र के जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार कर बताया है कि पक्षकार के कुसंयोजन में पैतृक संपत्ति को वारसानों की जानकारी एवं सहमित के बिना किया गया विभाजन अवैधानिक है। मूल पुरूष लखन के नाम पर संपूर्ण पैतृक भूमि दर्ज है तथा प्रति. क—5 तथा अन्य वारसान पैतृक संपत्ति के हकदार हैं। प्रति.क—1 द्वारा प्रति. क—4 एवं 5 को पंजीकृत विकयपत्र दिनांक—08.09.2010 एवं दिनांक—06.10.10 के विकयपत्र द्वारा भूमि का निष्पादन कर नामांतरण कर दिया गया। प्रति.क—4 एवं 5 द्वारा क्य की गई भूमि पर उनका कब्जा है। उसके पश्चात् वादीगण द्वारा प्रति. क—1 के साथ मिलकर दूरि संधि द्वारा किया गया पारिवारिक विभाजन या व्यवस्थापन अवैधानिक है। अन्य वारसान समय पर जन्म ले चुके थे, इसलिए प्रतिवादीगण का एवं कुसंयोजित पक्षकारों का जन्म से ही हक उत्पन्न हो गया था। प्रति.क—4 एवं 5 ने वादीगण का वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।
- 8. प्रकरण में प्रति.क.—1 दिनांक—18.09.14 को पुनः एकपक्षीय हुआ हैं एवं प्रति.क. 3 दिनांक—19.08.2008 को एकपक्षीय हुआ है। इस कारण उक्त प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के वादपत्र का जवाबदावा नहीं दिया है।

5

9. प्रकरण में तत्कालीन पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी ने निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये थे, जिनके सम्मुख मेरे द्वारा विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये गए हैं।

कमांक	aran 93 (V)	निष्कर्ष
क्रमाक	वादप्रश्न	भू ५५) ज
		··
1	क्या वादीगण वादग्रस्त भूमि ख.नं—93 / 1,	''प्रमाणित नहीं''
	134 / 8, 138 / 8, 163 / 6, 202 / 2,	
	285 / 2, 294 / 3উ, 294 / 7, 294 / 8,	
	296 / 8क रकबा कुल 4.15 एकड़ स्थित	
	ग्राम अचानकपुर तहसील बैहर जिला	
	बालाघाट के स्वामी हैं ?	
2	क्या प्रति.क.1, प्रति.क.2 के पक्ष में किये	''प्रमाणित नहीं''
1	गए विक्रयपत्र दिनांक-19.07.2006 को	
4	प्रभावशून्य है ?	
3	क्या वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्ध	''प्रमाणित नहीं''
4	स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी हैं ?	<i>y.</i> 10.
10	,	
4	सहायता एवं व्यय ?	वादीगण उनका वादपत्र प्रमाणित
		करने में असफल रहें हैं। वादीगण
		का वादपत्र निरस्त किया गया।
		3 . 3
5	क्या वाद पक्षकारों के कुसंयोजन के	(''प्रमाणित''
	कारण पोषणीय नहीं है ?	de la
6	क्या वाद अवधि बाध्य है ?	"प्रमाणित नहीं"
	-	(C) 3)

# वादप्रश्न कमांक-1,2,3 का निराकरणः-

- 10. प्रकरण में वादप्रश्न क.1 लगा. 3 एक—दूसरे से संबंधित है। प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो इस कारण तीनों वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 11. लखनलाल वा.सा.1 ने स्वयं के मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में बताया है कि प्रति.क.1 उसका पिता है एवं प्रति.क.2 ने साक्षी के पिता से भूमि क्रय की थी। उक्त भूमि उसके पिता ने पारिवारिक विभाजन में प्रदान की थी, जिसको उनकी जानकारी के बिना प्रति.क.1 ने प्रति.क. 2 को विक्रय कर दी है। उक्त खानदानी भूमि ख.नं. 93/1ग रकबा 0.37 डि., ख.नं. 134/8, 138/8 में से रकबा 0.37 डि., ख.नं. 163/6 रकबा 1.67 ए., ख.नं. 202/2 रकबा 0.50 डि., ख.नं. 285/2 रकबा 0.63 डि., ख.नं. 294/3ड, 294/7 294/8 में से रकबा 0.

37 डि. ख.नं. 296 / 8क रकबा 0.24 डि. कुल 4.15 एकड भूमि मौजा अचानकपुर प.ह.नं. 36 में स्थित भूमि जो वर्तमान में साक्षी के पिता के नाम पर दर्ज है, जिसे पारिवारिक विभाजन में उन्हें प्रदान की गई थी एवं विभाजन के बाद उक्त भूमि पर उनका कब्जा है। विभाजन में परिवार के किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं थी। उक्त भूमि पर उनका कब्जा चला आ रहा है। प्रति.क.1 ने उक्त विभाजन इसलिए किया था कि उसकी दो पत्नियां थी। वैध विवाहिता साक्षी की मॉ वादी क. 2 बिराजोबाई व दूसरी पत्नी समलोबाई है। साक्षी उसकी माँ का एकमात्र पुत्र है। साक्षी की मॉ से प्रति.क.2 को दो पुत्रियां एवं दूसरी पत्नी समलोबाई से चार पुत्र व दो पुत्रियां हैं। उनके समाज में एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता है, व उससे उत्पन्न संतान को कोई हक प्राप्त नहीं होता, इसलिए प्रति.क.2 ने उनके जीवनकाल में विभाजन कर दिया था। उक्त विभाजन के परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा नायब तहसीलदार बिरसा के यहां आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रति.क.1 ने भूमि देना स्वीकार किया था। प्रति.क.1 ने उनके हक-कब्जे की भूमि से उनका हक समाप्त करने की नियत से प्रति.क.2 कोमल बाहेश्वर को चोरी-छिपे विक्रय की है, जो उनके उपर बंधनकारक नहीं है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं है। इस कारण पारिवारिक भूमि में प्राप्त भूमि की घोषणा के लिए यह दावा प्रस्तुत किया है। वादी लखनलाल वा.सा.१ की साक्ष्य का समर्थन उसके साक्षी पतंगादास वा.सा.2, बंशलाल वा.सा.3, पूनाराम बोरकर वा.सा.४ ने उनके मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में किया है।

- 12. वादीगण ने उनके पक्ष समर्थन में विक्रयपत्र दिनांक—19.07.06 प्रदर्श पी—1, पांचसाला खसरा वर्ष 2005—08 प्रदर्श पी—2, पांचसाला खसरा वर्ष 2006—08 प्रदर्श पी—3, पांचसाला खसरा वर्ष 2005—08 प्रदर्श पी—4, नक्शा प्रदर्श पी—5, नायब तहसीलदार बिरसा की आदेश पत्रिका प्रदर्श पी—6, नायब तहसीलदार बिरसा द्वारा दिया गया सूचनापत्र प्रदर्श पी—7, पंचनामा प्रदर्श पी—8, दुखारी का कथन प्रदर्श पी—8, दुखारी का कथन प्रदर्श पी—9, फर्द बंटवारा की सत्यप्रति प्रदर्श पी—10, फर्द बंटवारे का ज्ञापन प्रदर्श पी—11, नक्शा प्रदर्श पी—12, दिनांक—06.10.2010 के विक्रयपत्र की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी—13, दिनांक—08.09.
- 13. कोमल प्र.सा.1 ने वादीगण की साक्ष्य का खण्डन करते हुए स्वयं के मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में बताया है कि प्रति.क—1 दुखारी से ख. नं—93/1ग रकबा 0.37 डि., ख.नं—134/8, 138/8 में से रकबा 0.20 डि. भूमि उक्त साक्षी द्वारा क्रय कर दिनांक—19.07.06 को अपने नाम पर विक्रयपत्र पंजीयन

कराया था। साक्षी का विवादित भूमि पर खरीदी दिनांक से कब्जा है। विवादित भूमि पर लखन एवं बिराजोबाई का कब्जा नहीं है एवं विवादित भूमि पर वादीगण का कोई मकान भी नहीं है। साक्षी ने जब भूमि क्रय की थी, तब वादी क्—1 भी उसके पिता के साथ था। विवादित भूमि दुखारी की भूमि थी। साक्षी ने जिस दिनांक से भूमि क्रय की है, तब से साक्षी विवादित भूमि पर कास्त कर रहा है। प्रति.क.1 द्वारा विवादित भूमि का हिस्सा बंटवारा उसके किसी पुत्र—पुत्री को नहीं दिया था। वादीगण ने साक्षी के कब्जे की भूमि को हड़पने के लिए झूटा दावा पेश किया है। साक्षी ने जब भूमि क्रय की थी, तब क्रय करने वाली भूमि का प्रकरण न्यायालय में लंबित नहीं था। प्रति.क.1 ने उसके समर्थन में किसी साक्षीगण की साक्ष्य नहीं कराई है एवं कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की हैं।

- 14. वादीगण ने लिखित तर्क प्रस्तुत की है। प्रति.क.2 की ओर से भी वादीगण की लिखित तर्क के खण्डन में लिखित तर्क प्रस्तुत की है। वादीगण एवं प्रति.क.2 की संपूर्ण लिखित तर्कों का मनन किया गया।
- **15.** श्रिकरण में वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज विक्रयपत्र दिनांक—19.07. 06 प्रदर्श पी-1 के अनुसार प्रति.क.1 दुखारी ने प्रति.क.2 कोमल बाहेश्वर को ख. नं. 93 / 1ग रकबा 0.37 डि., ख.नं. 134 / 8, 138 / 8 में से रकबा 0.20 डि. ग्राम अचानकपुर की भूमि विकय की थी। उक्त भूमि प्रति.क.1 दुखारी के नाम पर दर्ज थी। पांचसाला खसरा प्रदर्श पी—2 में ख.नं. 134 / 8, 138 / 8 में दुखारी का नाम है। पांचसाला खसरा 2006–08 प्रदर्श पी–3 में ख.नं. 242 / 10 पर पांचसाला खसरा वर्ष 2005–08 प्रदर्श पी–4 में प्रति.क.1 का नाम दर्ज है। नक्शा प्रदर्श पी-5, नायब तहसीलदार बिरसा की आदेशपत्रिका प्रदर्श पी-6, नायब तहसीलदार द्वारा दी गई सूचना प्रदर्श पी-7, पंचनामा प्रदर्श पी-8, दुखारी के कथन प्रदर्श पी—9, फर्द बंटवारा की सत्यप्रति प्रदर्श पी—10, फर्द बंटवारे का ज्ञापन प्रदर्श पी-11, नक्शा प्रदर्श पी-12, प्रस्तुत दस्तावेजों में सभी भूमि प्रति.क.1 के नाम पर उल्लेखित है। साथ ही कथित भूमि खानदानी हो, ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है। बंटवारा अंतिम रूप से नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में प्रति. क.1 दुखारी जो कि लखनलाल वादी क.1 का पिता है एवं बिराजोबाई वादी क. 2 का पति है, वादीगण को वादग्रस्त भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं हो सकती। चूंकि कोई अलग से विभाजन पत्रक प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा नायब तहसीलदार बिरसा के यहाँ चले प्रकरण में विभाजन बाबत् अंतिम निर्णय हुआ हो, ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रदर्श पी-1 लगा. 14 के दस्तावेजों में वादीगण ने ऐसे कोई दस्तावेज और खसरा नकल, संशोाधन पंजी की नकल पेश नहीं की है, जिससे की यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विवादग्रस्त संपत्ति प्रति.क.1 को उसके पिता झाडू की मृत्यु होने के उपरांत उत्तराधिकार में मिली हो, इसलिए विवादग्रस्त संपत्ति प्रति.क.1 की संतानों की पैतृक संपत्ति होना प्रमाणित नहीं है। प्रति.क.1 ने प्रकरण में वादोत्तर पेश नहीं किया है, इसलिए वादपत्र का कोई तथ्य स्वीकृत तथ्य नहीं है, इसलिए वादपत्र के पैरा 2 में उल्लेखित वादग्रस्त भूमि का वादीगण को भूमि स्वामी होना प्रमाणित नहीं माना जाता है। प्रति.क.1 ने प्रति.क.2 को प्रदर्श पी-1 के रजिस्टर्ड विक्यपत्र के द्वारा भूमि ख.नं.—93 / 1ग रकबा 0.37 डि., ख.नं. 134 / 8, 138 / 8 में से रकबा 0.20 डि. विकय की है। दुखारी ने उक्त भूमि प्रतिवादीगण को बंटवारे में नहीं दी थी। इस कारण उसे उक्त भूमि विक्रय करने का अधिकार था। इस कारण भूमि ख.नं.-93 / 1ग रकबा 0.37 डि., ख.नं. 134 / 8, 138 / 8 में से रकबा 0.20 डि. से संबंधित दिनांक-19.07.06 का प्रदर्श पी-1 का विक्रयपत्र शून्य घोषित किया जाना उचित नहीं है वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से विवादग्रस्त भूमि के वादीगण वैध आधिपत्यधारी स्वामी हो यह तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ है। इस कारण वादीगण विवादग्रस्त भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण वादप्रश्न क.1 लगा. 3 को उनके पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहे हैं।

### वादप्रश्न क.5 का निराकरण:-

17. वादीगण ने वादपत्र के पैरा—5 में उनका खानदानी सिजरा बताया है उसके अनुसार वादीगण के पिता दुखारी की प्रथम पत्नी, वादीगण की माँ वादी क. 2 बजरोबाई है, जिसका पुत्र वादी लखनलाल, पुत्री फुलझरबाई एवं फूलबाई है। वादीगण के पिता दुखारी प्रति.क.1 की द्वितीय पत्नी समलोबाई है, उसके पुत्र ऐसन, मोहन, शिवकुमार, शंकर एवं पुत्री शशिबाई, उत्तराकुमारी है। वादीगण ने प्रति.क. 2 की द्वितीय पत्नी एवं पुत्र—पुत्री को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। इस कारण प्रकरण में पक्षकारों का कुसंयोजन होना माना जाता है।

#### वादप्रश्न क.6 का निराकरणः-

18. वादी लखनलाल वा.सा.1 ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि उसके पिता प्रति.क.1 ने उनके हक कब्जे एवं मालिकी की भूमि उन्हें पारिवारिक विभाजन में

प्रदान की थी, उसमें से वादी क.1 के पिता प्रति.क.1 ने ख.नं.—93/1ग रकबा 0. 37 डि., ख.नं. 134/8, 138/8 में से रकबा 0.20 डि. भूमि प्रति.क.2 को दिनांक—19.07.06 के प्रदर्श पी—1 के विक्यपत्र द्वारा विक्य की है। वादीगण की साक्ष्य का समर्थन उनके साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में किया है। वादीगण ने प्रश्नाधीन वादपत्र न्यायालय में दिनांक—28.04.08 को प्रस्तुत किया था। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के वादपत्र के अवधि बाह्य होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। वादीगण ने प्रदर्श पी—1 के विक्यपत्र के पंजीकृत होने के तीन वर्ष के अंदर प्रश्नाधीन दावा प्रस्तुत किया है। इस कारण वादीगण का वाद समय अवधि में माना जाता है। वादीगण का वाद अवधि बाह्य नहीं माना जाता है।

#### वादप्रश्ने के. 4 सहायता एवं व्यय

- 19. वादीगण प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में भूमि ख.नं—93/1 रकबा 0.37 डिस., ख.नं—134/8+138/8 रकबा 0.37 डिस., ख.नं—163/6 रकबा 1.67 एकड़, ख.नं—202/2 रकबा 0.50 डिस., ख.नं—285/2 रकबा 0.63 डिस., ख.नं—294/3ड+294/7+294/8 में से रकबा 0.37 डिस., ख.नं—296/8क रकबा 0.24 डिस., कुल रकबा 4.15 एकड़ मौजा अचानकपुर प.इ.नं—36 तहसील बैहर जिला बालाघाट के संबंध में अपना वादपत्र प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतः वादीगण का वादपत्र निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप निम्न आशय की डिकी पारित की जाता है:—
- 1— उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय वहन करेंगे
- 2- अभिभाषक शुल्क नियामानुसार देय होगी।

तदानुसार आज्ञप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(दिलीप सिंह)

द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग-1, तहसील बैहर, जिला बालाघाट ्र (दिलीप सिंह)

द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग–1, तहसील बैहर, जिला बालाघाट